न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 337 / 2010

1. साहिना पत्नि जमशेद पुत्री उमर अली मुल्ला जाति मेव निवासी 5 नम्बर सोना खली तहसील बसन्ती पश्चिम बंगाल हाल आबाद ग्राम ईखनका तहसील पहाडी ।
2. जसमीना
3. जानिस्ता
4. जुलेह खां पिसरान जमशेद जाति मेव नाबालिगान जरिये व विलायत मु0 साहिना पत्नि जमशेद मेव माता खुद निवासी ग्राम ईखनका तहसील पहाडी

प्रार्थीगण

बनाम

1. जमशेद पुत्र मवासी
2. मुमताज पत्नि जमशेद
3. अयूब
4. उन्नस
5. हनीफ
6. साहुन पिसरान मवासी
7. हाजरा बेबा मवासी
8. नफीसा पुत्री मवासी जाति मेव निवासी ग्राम ईखनका तहसील पहाडी
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी।
10. उपपंजीयक पहाडी तहसील पहाडी भरतपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री बृजलाल शर्मा वकील प्रार्थीगण
2. श्री यशपाल सैनी वकील अप्रार्थीगण

दिनांक :– 25.02.2021

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि खाता संख्या 4 में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 6/0.18, 10/0.08, 11/0.31, 216/0.20, 217/0.16, 291/0.21, 325/0.04, 348/0.19, 345/0.26, 347/0.48, 373/0.07, 375/0.23, 443/0.25, 475/0.24, 496/0.43, 497/0.44, 499/0.70, 500/0.64, 603/154/0.40, 672/344/0.13, 673/344/0.13, 684/442/0.68, 702/491/0.57, एवं खाता संख्या 52 एवं 53 में दर्ज खसरा नम्बर 498/0.49, 503/0.24, 505/0.23, 296/0.15, एवं खाता संख्या 126 में दर्ज खसरा नम्बर 444/0.32, बांके ग्राम ईखनका तहसील पहाडी व खाता संख्या 70 में दर्ज खसरा नम्बर 633/0.14, 634/0.18, बांके ग्राम बडौदा तहसील पहाडी में स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही मवासी ससुर व बाबा की परिवार के सदस्य है। प्रार्थी संख्या 1 की पूर्व में शादी रूजदार पुत्र दान सिंह जाति मेव निवासी ईखनका तहसील पहाडी के साथ हुई थी। प्रार्थी व रूजदार के बीच पारिवारिक मनमुटाव हो जाने के कारण अपने स्वेच्छा से तलाक हो गया। रूजदार को तलाक देने के बाद प्रार्थी संख्या 1 अपने पैतृक गॉंव पश्चिम बंगाल में वापिस अपने पिता के पास चली गई। जहॉं से अप्रार्थी संख्या 1 अपने परिवार के सभी सदस्यों की सहमति से प्रार्थी संख्या 1 के पैतृक गॉंव से दिनांक 15.11.2005 को मुताबिक मुस्लिम रीति रिवाज के निकाह कर अपनी गॉंव ईखनका ले आया। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य निकाह मुताबिक कानूनन रजिस्टर्ड हुआ था। इस प्रकार प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 की ब्याहता पत्नि है। जिसको वह उसके बच्चो प्रार्थीगण को मुताबिक कानून अपने पति व पिता के नाम दर्ज सम्पत्ति में उसके साथ बराबर के हक व अधिकार प्राप्त होते है। दिनांक 15.11.2005 को प्रार्थी संख्या 1 अपने पिता के यहॉं से अप्रार्थी संख्या 1 के साथ निकाह करके गांव ईखनका में मवासी परिवार में आ जाने के पश्चात एक ही परिवार में संयुक्त रूप से रहते हुए । मवासी के नाम दर्ज आराजी को अप्रार्थीगण के साथ संयुक्त रूप से काश्त करती चली आ रही है एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वयं अर्जित आराजी को अप्रार्थी सख्या 1 के साथ काश्त करती चली आ रही है। अप्रार्थी संख्या 1 के नुत्फे से प्रार्थीया के तीन पुत्री पैदा हुई जो प्रार्थीया के साथ ही जीवन यापन करती चली आ रही है। जिनकी परवरिश प्रार्थीया करती चली आ रही है तथा प्रार्थीगण के पास अपने जीवन यापन के लिये एक मात्र साधन विवादित आराजी है। जिसके अलावा अन्य कोई साधन नहीं है। प्रार्थीया विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 के साथ सम्मलित रूप से रहते हुए काश्त करती चली आ रही है तथा इस वक्त भी मौके पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के साथ उसके नाम दर्ज खातेदारी की भूमि पर कब्जा व काश्त है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 को खातेदार दर्ज किया जा रहा है। जिसके सवव अप्रार्थी संख्या 1 के दिल में बदयान्ती आ गई है। जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण के साथ उचित व्यवहार

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

व नाबालिग प्रार्थीगण की परवरिश नहीं करता है। बल्कि अप्रार्थी संख्या 2 से दूसरी शादी करके प्रार्थीयान के साथ दुर्व्यवहार करते हुए अन्य अप्रार्थीगण की मिली भगत से प्रार्थीगण को आराजी मुत0 में प्राप्त अधिकारो से वंचित करने के उद्देश्य से आराजी को रहन वय मुन्तकिल करना चाहता है तथा प्रार्थीगण को जबरदस्ती लठ्ठ व ताकत के बल पर बेदखल कर अन्य अप्रार्थीगण को कब्जा कराने की फिराक में है। जिसकी वावत अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया है और यदि अप्रार्थीगण अपने इस नापाक इरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण अपने अधिकारों से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगे। विधि वजह प्रार्थीगण दावेदार है और अपने आपको विवादित आराजी में गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी मुत0 के हिस्से पर उसके साथ वाहिस्सा बराबर खातेदार घोषित कराकर राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के साथ वाहिस्सा बराबर के इन्द्राज दर्ज करा पाने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को दिनांक 16.11.10 को ऐलानिया धमकी दी है। कि हम आराजी मुत0 को रहन वय मुन्तकिल कर राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन करके रहेगे। यदि अप्रार्थीगण अपने इस इरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपरमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति जर्रे नकद से भी न हो सकेगी। विधि वजह प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 को आराजी मुत0 को रहन वय मुन्तकिल न करने व राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने व प्रार्थीगण को उनके हिस्से से बेदखल कर अन्य लोगो को कब्जा नहीं करने की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने की अधिकारिणी है। प्राईमा फैसाई केस , सुविधा का सन्तुलन ,अपूर्णीय क्षति हम प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पेश कर्दा जमाबन्दी बांके ग्राम ईखनका व बडौदा तहसील पहाडी में दर्ज खसरा नम्बरान के सालिम रकबा को दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल न करे प्रार्थीगण को जबरन आराजी मुत0 से लठ्ठ व ताकत के बल पर बेदखल न करे मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये तथा जबाब इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी बांके ग्राम ईखनका एवं बडौदा तहसील पहाडी में स्थित है। जो कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ,3 लगायत 6 के पिता व 7 के पति मवासी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी। जो अपने जीवन काल में खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज रहकर काश्त करता रहा और उसके फौत हो जाने के बाद उसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 ,3 लगायत 6 अपने हिस्से के मुताबिक काबिज रहकर काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण ने उक्त मुकदमा झूठे तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

1 लगायत 7 को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। जबकि प्रार्थीया व प्रार्थीगण आराजी मुत0 से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है और ना ही इस वक्त है। प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नि नहीं है और ना ही उसके साथ कोई निकाह किया है तथा प्रार्थीगण संख्या 2 ,3,4 अप्रार्थी के बच्चे नहीं यह औरत चालाक किस्म की औरत है जो रूजदार की पत्नी है और रूजदार के ही प्रार्थीगण बच्चे है। अप्रार्थीगण संख्या 1 का निकाह दिनांक 17.06.2007 को मुमताज महल के संग ग्राम फतेहपुर कला तहसील नगर के साथ सम्पन्न हुआ और उसके एक लडका व एक लडकी पैदा हुई। जो अप्रार्थी संख्या 1 के साथ रह रहे है। आराजी मुत0 पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 अपने हिस्से के मुताबिक खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण का आराजी मुत0 से कोई संबंध नहीं रहा है और ना ही वह आराजी पर काश्त करते है। प्रार्थीया व प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की खातेदारी की जमीन को झूठे मुकदमें के आधार पर हडपना चाहती है और झूठा जमशेद की पत्नि बन रही है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थीया से कभी कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 की उम्र कम है तथा ना ही प्रार्थीगण 2,3,4 अप्रार्थी संख्या 1 के बच्चे है। जबकि सच्चाई यह है कि प्रार्थीया रूजदार की पत्नि है और उसकी ही प्रार्थीगण संख्या 2,3,4 बच्चे है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो काबिले खारिज है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड विवादित आराजी अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण ने यह दावा अप्रार्थी नम्बर 1 की पत्नि होने के दावे के साथ राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने अपने आपको अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नि एवं बच्चे बताया है। जिसके संबन्ध में प्रार्थीया ने पश्चिम बंगाल से 18. 06.2010 को जारी विवाह प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है। जबकि 15.11.2005 को विवाह होना बताया है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत संतानो का जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड में भी सन्तानें की जन्म तिथी एवं निवास स्थान में अंतर स्पष्ट रूप से है। जन्म प्रमाण पत्र में निवास स्थान ईखनका एवं आधार कार्ड में निवास स्थान सहसन दर्शित किया है। प्रार्थीया संख्या 2 व 3 का आधार कार्ड में जन्म तिथि 01.01. 2005 एवं पिता का नाम जमशेद दर्शाया गया है। जबकि प्रार्थीया द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

प्रस्तुत पश्चिमी बंगाल से जारी विवाह प्रमाण पत्र में विवाह का दिनांक 15.11.2005 दर्शाया गया है। यह दोनो ही तथ्य विरोधाभासी है। जन्म प्रमाण पत्र भी लगभग 10 वर्ष पश्चात जारी किये गये है । अप्रार्थीगण ने भी खाद्य एवं पूर्ति विभाग, हरियाणा में राशन कार्ड हेतु आवेदन के लिए आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। जिसमें प्रार्थीया को रूजदार पुत्र दानसिंह की पत्नि दर्शित किया गया है जिसमें संतानो का भी विवरण है।

प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के वारिसान है अथवा नहीं यह मूल दावे में साक्ष्य के आधार पर निर्धारित होगें। अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है एवं रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखना उचित नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तु नजीर आर0आर0डी0 अक्टूबर 2007 धन्नी बनाम रामूराम एवं आर0आर0डी0 14 हरविन्दर कौर बनाम रिछपाल सिंह प्रकरण पर बखूबी चस्पा होती है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है।

2. **सुविधा का सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से प्रमाणित है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है एवं प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के वारिसान हैं अथवा नहीं यह मूल दावे में साक्ष्य के आधार पर निर्धारित होगा । अतः रिकॉर्डेड खातेदार को अगर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो असुविधा भी अप्रार्थीगण को ही अधिक होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण में ही निहित है।

3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही होगी।

ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किये जाने योग्य है ।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है एवं न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 01.12.2010 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)